

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/एसआईक्यूई/19501/2017/544

दिनांक:- 4.12.17

विज्ञप्ति

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के विभिन्न स्वीकृत/रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु पैनल तैयार करने के लिए वाक इन इन्टरव्यू का आयोजन निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में निम्न कार्यक्रमानुसार किया जायेगा:-

क्र. स.	पद का नाम	कार्यालय का नाम	पद हेतु अपेक्षित पात्रता	वाक इन इन्टरव्यू आयोजन तिथि
1.	प्रधानाध्यापक (सामाधि समकक्ष)	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर	प्रधानाध्यापक रामावि एवं समकक्ष पद पर कार्यरत।	15.12.2017
2.	वरिष्ठ अध्यापक	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर	वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक एवं समकक्ष पद पर कार्यरत।	15.12.2017
3.	अध्यापक/शारी.शि ग्रेड तृतीय	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर	अध्यापक/शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय पर कार्यरत	15.12.2017

उक्त पदों के लिए अपेक्षित योग्यताएं एवं दिशा-निर्देश -

1. राजकीय विद्यालयों के शिक्षक/शारीरिक शिक्षक जिन्हें संबंधित पद पर कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव हो।
2. एसआईक्यूई कार्यक्रम/शालादर्शन संबंधी कार्य का न्यूनतम 3 माह का अनुभव हो।
3. कम्प्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान, इन्टरनेट सम्बंधी कार्य करने का अनुभव रखता हो।
4. वाक इन इन्टरव्यू के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक/शारीरिक शिक्षक, जिन्हें राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से दण्डित नहीं किया गया हो तथा ना ही उक्त नियमों में जाँच लंबित हो, ही पात्र होंगे।
5. वेतन एवं भत्ते दयनित आशार्थियों के उनके पूर्ववर्ती वेतन श्रंखला एवं ग्रेड पे के अनुसार देय होंगे।
6. वाक इन-इन्टरव्यू हेतु उपस्थित होने वाले आशार्थियों को किसी प्रकार का यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
7. आशार्थी द्वारा दी गई समस्त सूचना किसी भी स्तर पर गलत पाये जाने पर, आशार्थी का वाक-इन-इन्टरव्यू या चयन निरस्त करने तथा आशार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने का अधिकार विभाग को होगा।
8. वाक-इन-इन्टरव्यू के लिए अलग से किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जायेगी। उपरोक्त वर्णित कार्यक्रम अनुसार ही आयोज्य इन्टरव्यू में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

अतिरिक्त योग्यता -

1. लेखन/सृजनात्मक कार्य का अनुभव/राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों/राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. एसआईक्यूई कार्यक्रम के लिए एसआईईआरटी द्वारा चयनित एमटी/केआरपी/एसआरजी/निदेशालय में कार्य करने का अनुभव हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।

नोट:-

1. अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 13.12.2017 को सायं 6 बजे तक अनुभाग की Mail ID sigerajasthan.state2@gmail.com पर अथवा दिनांक 14.12.2017 को सायं 3 बजे तक व्यक्तिशः निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के कमरा सं. 17 में जमा करावें।
2. दिनांक 15.12.2017 को प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक इच्छुक आशार्थियों का पंजीयन एवं दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा। इच्छुक आशार्थी वाक इन इन्टरव्यू के दिन प्रातः 10.00 बजे प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय में समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे।
3. संबंधित पद पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी/शिक्षक/शारीरिक शिक्षक भी सम्मिलित हो सकेंगे।


(पूर्णचन्द किशन)

आईएसएस
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

निदेशालय प्रा.शि. राज. में वॉक-इन-इन्टरव्यू के लिए प्रार्थना-पत्र

आवेदित पद का नाम :- प्रधानाध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक ग्रेड III

1	प्रार्थी का नाम	हिन्दी में			
		अंग्रेजी में			
2	पिता /पति का नाम				
3	जन्मतिथि	अंकों में			
		शब्दों में			
4	प्रथम नियुक्ति तिथि				
5	सेवा अवधि वर्षों में				
6	वर्तमान धारित पद				
7	कार्यालय/विद्यालय का नाम				
8	मूल निवास का पता				
9	वर्तमान वेतन श्रृंखला व ग्रेड पे				
10	शैक्षणिक योग्यता	क्र.सं	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत
		1	सैकण्डरी समकक्ष		
		2	हायर/सी. सै. समकक्ष		
		3	स्नातक		
		4	स्नातकोत्तर		
		5	अन्य		
11	प्रशैक्षणिक योग्यता	क्र.सं	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत
		1	बी.एस.टी.सी. समकक्ष		
		2	बी. एड. समकक्ष		
		3	एम.एड. समकक्ष		
		4	अन्य		
12	अन्य विशिष्ट उपलब्धियां	क्र.सं	विशिष्ट अनुभव	अवधि	
		1	शिक्षण /पद पर कार्य करने का अनुभव		
		2	एसआईक्यूई संबंधी कार्य का अनुभव		
		3	शाला दर्शन संबंधी कार्य का अनुभव		
		4	इन्टरनेट/कम्प्यूटर उपयोग संबंधी योग्यता/दक्षता		
		5	अन्य		

शपथ पत्र

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त तथ्य सही है तथा मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है।
2. मुझे मेरी सेवा अवधि में अब तक राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से दण्डित नहीं किया गया है तथा ना ही उक्त नियमों में मेरे विरुद्ध कोई जाँच लंबित है।
3. मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचना एवं शपथ किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाने पर मेरा वॉक-इन-इन्टरव्यू या चयन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने का अधिकार विभाग को होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
मय दिनांक

नाम—

पद—

पदस्थापित स्थान—

मोबाईल नम्बर—